



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012022-232515
CG-DL-E-10012022-232515

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89]
No. 89]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 10, 2022/पौष 20, 1943
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 10, 2022/PAUSAH 20, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जनवरी, 2022

सं. 50 / 2015–2020

विषय : एनोक्सापैरिन (फार्म्यूलेशन और एपीआई) और इन्ट्रा-विनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन (आईवीआईजी) (फार्म्यूलेशन और एपीआई) की निर्यात नीति में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 93(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2015–20 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा एनोक्सापैरिन और इन्ट्रा-विनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन (आईवीआईजी) के निर्यात से संबंधित आईटीसीएचएस निर्यात नीति 2018 की अनुसूची-2 के अध्याय 29 और 30 में निम्नलिखित संशोधन करती है:

क्र. सं.	आईटीसी एचएस कोड	विवरण	मौजूदा नीति	संशोधित नीति
207 ए ई	एक्स: 2942 एक्स: 3001 एक्स: 3002	एनोक्सापैरिन (फार्म्यूलेशन और एपीआई)	मुक्त	प्रतिबंधित
207 ए एफ	एक्स: 3002	इन्ट्रा-विनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन (आईवीआईजी) (फार्म्यूलेशन और एपीआई)	मुक्त	प्रतिबंधित

- 2. इस अधिसूचना का प्रभाव:** ऊपर विनिर्दिष्ट आईटीसी (एचएस) कोडों के अंतर्गत आने वाले अथवा किसी अन्य एचएस कोड के अंतर्गत आने वाले एनोक्सापैरिन (फार्म्यूलेशन और एपीआई) और इन्ट्रा-विनस इम्यूनोग्लोब्यूलिन (आईवीआईजी) (फार्म्यूलेशन और एपीआई) के निर्यात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है।

[फा. सं. 01/91/180/021/एएम-22/ईसी/ई-30431]

अमित यादव, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2022

No. 50/2015-2020

Subject : Amendment in Export Policy of Enoxaparin (formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (formulation and API) - regarding

S.O. 93(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-20, the Central Government hereby makes the following amendment in Chapter 29 and 30 of Schedule 2 of the ITCHS Export policy 2018 related to export of Enoxaparin and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG):

S.No	ITC HS Codes	Description	Present Policy	Revised Policy
207AE	Ex2942 Ex3001 Ex3002	Enoxaparin (Formulation and API)	Free	Restricted
207 AF	Ex3002	Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API)	Free	Restricted

2. Effect of this Notification:

The export of Enoxaparin (Formulation and API) and Intra-Venous Immunoglobulin (IVIG) (Formulation and API) falling under the ITC (HS) Codes specified above or falling under any other HS Code has been put under restricted category, with immediate effect.

[F. No. 01/91/180/021/AM22/EC/E-30431]

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
Ex-Officio Addl. Secy.